



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में 02 महिला सह-अभियुक्ताओं को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000-5,000/- रुपये (कुल 10,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 23.10.2026 को मा0 न्यायालय के द्वारा “नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म” के अभियोग में 02 महिला सह-अभियुक्ताओं को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 07.01.2022 को अभियुक्तागण 1. ग्यानो देवी उर्फ रेनू पत्नी देवा उर्फ देवेन्द्र व 2. पंकी पत्नी सतीश निवासीगण आदर्शनगर कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री (उम्र करीब 14 वर्ष) को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर मारपीट कर नशीली वस्तु खिलाकर बाल अपचारी (अभियुक्ता ग्यानो देवी उर्फ रेनू का पुत्र) से दुष्कर्म कराने की दुस्साहसिक घटना कारित कराई गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 22/2022 धारा 323, 363, 328, 376(3), 120बी भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.02.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 23.10.2026 को 02 महिला सह-अभियुक्ताओं उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000-5,000/- रुपये (कुल 10,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री कुशल पाल सिंह एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहररि है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

